

03.06.2026

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार देलदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 12.11.2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(रोहिताश्व सिंह तोमर)

जिला कलक्टर, सिरौही